न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 36/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
श्री गुलाबसिंह पुत्र श्री श्यामसिंह जाति राजपूत निवासी भीमाना तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिये उपतहसीलदार भावरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री कलीम अव्वल अधिवक्ता अपीलांट।
2. नायब तहसीलदार सिरोही (पैरोकार सरकार)।

निर्णय

दिनांक : 15.11.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत उपतहसीलदार, भावरी द्वारा उनके मुकदमा संख्या 128/2017 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2017 के विरूद्ध दिनांक 12.03.2018 को प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया गया ।

अभिलेख प्राप्त होने एवं सम्मन तामिल होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि उपतहसीलदार, भावरी द्वारा ग्राम भीमाना पटवार हल्का भीमाना तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नम्बर 60, 61, 62, 64, 65 रकबा 1.07, 0.10, 1.00, 3.00 बीघा किस्म नं. 1, मगरी, नं. 2 पर अपीलार्थी का अवैध निर्माण मान कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया जो नोटिस अपीलांट को तामिल करवाया गया जिसे अपीलांट पर तामिल मानते हुए उसे उपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट को हाजिर बताते हुए भौतिक रूप से बेदखल करने एवं रूपये 600/– का जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित किये गये, जो कानूनी रूप से उचित एवं विधिसम्मत नही है। यह है कि अपीलांट उक्त खसरों का पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है व न ही उसने उस पर कभी [illegible] कब्जा किया है। यह है कि उक्त भूमि अपीलांट के पुराने कब्जे काश्त की है [illegible] वह अपने पूर्वजों के समय से लगातार खेती करता आ रहा है [illegible] नियमन/आवंटन [illegible] का अधिकारी है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय [illegible] पश्चातवर्ती अतिक्रमी मान[illegible] उक्त आदेश पारित किया है, जो अपास्त किए जाने योग्य है। यह है कि निरीक्षक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:18:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

राजस्व लेखा आन्तरिक लेखा जांच (आय) पाली द्वारा भी अपीलांट की नियमन पत्रावलियों बाबत यह आदेशित किया गया है कि प्रचलित बाजार भाव से भूमि का नियमन/आवंटन किया जावे जिसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट द्वारा नियमन पत्रावली का निस्तारण नहीं कर इस प्रकरण में उसे सिविल कारावास की दण्डित करने में भारी भूल की है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है और न ही निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का के कोई बयान नही लिए गए है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा कर काश्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है । अपीलान्ट को पेशी का नोटिस तामिल शुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है । अपीलान्ट आदतन अतिक्रमी है एवं विवादित भूमि सरकारी बिलानाम भूमि है जो नियमों के तहत आवंटन या नियमन नही हो सकती। राजकीय भूमि की रक्षा करना प्रशासन का प्रथम दायित्व बनता है। यदि राजकीय भूमि अतिक्रमित हो जायेगी तो पशुओं के चराई के ऊपर भारी संकट उत्पन्न हो सकता है, अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

मैनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हुं कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में न.1, मगरी, न. 2 दर्ज है। अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संवत् 2074 खरीफ मे अतिक्रमण करने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसमे पश्चात्वर्ती अतिक्रमण का नोटिस जारी नहीं किया गया है । विवादित भूमि रिक्त करने की अपेक्षा की गई थी उक्त नोटिस अपीलांट को तारीख पेशी से [illegible] कराया गया था एवं अपीलांट तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ । तामिल [illegible] द्वारा तामिल शुदा नोटिस अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत [illegible] की पत्रावली मे मौजूद है। अपीलान्ट अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे पश्चात्वृति अतिक्रमण का नोटिस जारी किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये है मानने योग्य प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखने पर उसकी उपस्थिति अंकित है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:18:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कथन अपने आदेशिका मे किया गया है कि अपीलान्ट हाजिर है। अलग से लिखे गये निर्णय मे उसे उपस्थित बताया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय पर अपने हस्ताक्षर दिनांक 17.08.2020 को किये जाने पाये जाते है।

अपीलांट गरीब व्यक्ति है इसलिए उस पर नरमाई का रूख अपनाया जाना विधि सम्मत है उसके कारागृह मे रहने के कारण उसका परिवार मानसिक एवं आर्थिक पीडा भुगतने को विवश होगा जो न्याय के विपरित होगा । अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त आरआरटी 2005(2) पेज 1474 रिविजन नं. 51 झुन्झुनु–2002 जो माननीय पी.सी.बलाई सदस्य, राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा दिनांक 17.5.2005 को निर्णित की गई उसके पैरा संख्या 7 मे भी नायब तहसीलदार, मलसीसर के सिविल कारावास के निर्णय को अपास्त किया गया है । आरआरडी 1996 पेज 585 की नजीर से भी हम पूर्णतया सहमत है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पारित निर्णय मे जुर्माना एवं बेदखली का आदेश यथावत कायम रखते हुए अपीलांट का अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है। प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करें।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:18:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner